न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
लालचंद बनाम मुसद्दीन

....

व्र हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.22	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः उभयपक्ष /अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11.01.23 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी हाल ख0नं0 982 रकबा 0.4800हे0 वाके ग्राम नंगलाडूंगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 11.01.23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(अलवर)	
11-01-23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र नोट प्रेस में दाखिल किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नोट प्रेस में दाखिल किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर सलग्न मूलवाद रहे।	not press